इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 460] भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2011—आश्विन 20, शक 1933


### नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-1-08-2010-साठ.—मंत्रि-परिषद् की दिनांक 26 सितम्बर 2011 को सम्पन्न बैठक में मध्यप्रदेश बायोमास आधारित विद्युत् (पावर) परियोजना क्रियान्वयन नीति 2011 का अनुमोदन किया गया है. सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त नीति का प्रकाशन ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल श्रीवास्तव,** प्रमुख सचिव.

**विषयः मध्यप्रदेश में बायोमास आधारित विद्युत (पावर) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति 2011.**

———

1. प्रस्तावना

1.1 मध्यप्रदेश शासन द्वारा नवकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत (पावर) संयन्त्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न ऊर्जा स्त्रोतों हेतु नीति का निर्धारण निवेशकों/विकासकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से मध्यप्रदेश में विद्युत (पावर) उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2006 में नीति जारी की थी। इस नीति 2006 में बायोमास आधारित विद्युत (पावर) परियोजनाओं को मध्यप्रदेश में स्थापित करने के साथ-साथ प्रोत्साहन देने के प्रावधान है।

1.2 राज्य में बायोमास आधारित ऊर्जा की व्यापक संभावी उपलब्धता को विचार में लेते हुए निवेशकों/विकासकर्ताओं के लिए बायोमास आधारित विद्युत (पावर) परियोजना के क्रियान्वयन की नई नीति तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

1.3 इस नीति का नाम ''मध्यप्रदेश बायोमास आधारित विद्युत (पावर) परियोजना क्रियान्वयन नीति, 2011'' है।

2. पंजीकरण के लिए मानदंड

2.1 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग प्रदेश में अतिशेष बायोमास की उपलब्धता के आधार पर जिलेवार बायोमास विद्युत उत्पादन की क्षमता अधिसूचित करेंगा। पहली बार यह क्षमता भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्य आंकड़ों के आधार पर अधिसूचित की जाएगी। नये सर्वेक्षण तथा रिपोर्ट के आधार पर समय–समय पर जिलेवार अतिशेष बायोमास की उपलब्धता एवं तदनुसार बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन की क्षमता में संशोधन किया जा सकेगा। स्वयं की कृषि से प्राप्त किया गया बायोमास, जिले के बायोमास उपलब्धता के अतिरिक्त माना जाएगा।

2.2 जिले में बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन हेतु परियाजनाओं के पंजीकरण हेतु उस जिले के अधिसूचित बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन की क्षमता की अधिकतम सीमा तक एक या एक से अधिक संयंत्रों का पंजीकरण किया जा सकेगा।

2.3 जिले के अंदर परियोजना के वास्तविक स्थल चयन हेतु विकासकर्ता को स्वतंत्रता रहेगी।

2.4 किसी भी एक परियोजना की अधिकतम क्षमता 15 मेगावाट से अधिक नहीं होगी।

2.5 यदि बायोमास की उपलब्धता में आवश्यकतानुसार कमी होती है तो संयंत्र को लगातार सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उत्पादक को 15 प्रतिशत तक पारंपरिक ईधन (जलाऊ लकड़ी के अलावा) का उपयोग घोषित हीट रेट के आधार पर करने की छूट होगी।

2.6 विकासकर्ता (डेवलपर/प्रमोटर) को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी सुसंगत दिशा निर्देशों/विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

2.7 विकासकर्ता उत्पादित विद्युत को केप्टिव उपयोग हेतु/तृतीय पक्ष विक्रय अथवा राज्य के स्वामित्व की विद्युत कंपनी को विक्रय हेतु स्वतंत्र होगा।

2.8 वनों के संरक्षण के दृष्टिगत, प्रदेश के आरक्षित एवं संरक्षित वनो की सीमा से न्यूनतम 2 (दो) कि.मी. की दूरी पर या उससे अधिक दूरी पर ही प्रस्तावित बायोमास आधारित पावर संयंत्र की स्थापना की जा सकेगी।

2.9 वनों के संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के किसी भी ऐसे विकासखण्ड/क्षेत्र को जिसमें वनाच्छादन एक निश्चित सीमा से अधिक है, बायोमास ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रतिबंधित घोषित किया जा सकेगा। इस आशय की अधिसूचना इस नीति के क्रियाशील होने की एक माह की अवधि में जारी की जायेगी। यह प्रतिबंध उन परियोजनाओं पर लागू नही होगा जो इस नीति के लागू होने के पूर्व पंजीकृत हो चुकी हैं।

3. पंजीकरण हेतु प्रक्रियाएं :

3.1 राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006 में अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों उत्पादन हेतु लागू की गई प्रोत्साहन नीति अंतर्गत प्रदेश के 29 विभिन्न जिलों में 308.10 मेगावॉट की कुल क्षमता की 34 परियोजनाएं वर्तमान में पंजीकृत एवं स्थापनाधीन हैं । इन्हें इस नीति की कण्डिका 12.4 के अनुसार लाभ मिलेगा।

3.2 उपरोक्त कण्डिका 3.1 में पंजीकृत एवं स्थापनाधीन परियोजनाओं के अतिरिक्त बायोमास ऊर्जा उत्पादन हेतु लंबित आवेदनों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3.3 जिलो में यदि बायोमास ऊर्जा उत्पादन क्षमता शेष रह जाती है तो निवेशकों को आकर्षित करते हुये प्रदेश की सम्पूर्ण बायोमास ऊर्जा उत्पादन क्षमता के दोहन के प्रयास किये जायेगें।

3.4 यदि किसी जिले में उस जिले की क्षमता से अधिक के आवेदन प्राप्त होते हैं तो आवेदन के चयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर प्रक्रिया निर्धारित करते हुये विकासकर्ता का चयन किया जायेगा।

3.5 पंजीकरण के लिए आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

(एक) विहित प्रारूप में आवेदन,

(दो) कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/पंजीकृत सोसाइटी की उपविधियों की प्रमाणित प्रति,

(तीन) भागीदारी, विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि, (यदि लागू हो)

(चार) विगत तीन वर्षो के लेखे (बेलेन्सशीट) की प्रति,

(पॉच) पूर्व साध्यता (प्री फीजिबिलिटी) प्रतिवेदन

3.6 परियोजना के उपयुक्त पाये जाने पर 15 दिवस के भीतर पंजीकरण शुल्क जमा करने का मांग पत्र जारी किया जायेगा और चयनित आवेदक को पंजीकरण शुल्क

एक लाख रू. प्रति मेगावाट की दर से 15 दिवस की अवधि में जमा करने तथा परियोजना को पंजीकृत कराना होगा। यह पंजीकरण शुल्क वापिसी योग्य नही होगा।

3.7 निर्धारित समयावधि (15 दिवस में) पंजीकरण शुल्क जमा न कराने की स्थिति में संबंधित आवेदक का आवेदन निरस्त माना जायेगा तथा संबंधित क्षमता हेतु नये विकासकर्ता का चयन कण्डिका 3 के अनुसार किया जायेगा।

4. पंजीकरण पश्चात की कार्यवाही :–

4.1 विकासकर्ता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज निर्धारित समय–सीमा (तीन माह) में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे :–

(एक) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

(दो) बायोमास एसेसमेंट रिपोर्ट

(तीन) भूमि संबंधी दस्तावेज (परियोजना हेतु चिन्हित स्थल)

(चार) सी.पी.एम./पर्ट चार्ट (प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन हेतु)

(पॉच) परियोजना स्थल पर पानी की उपलब्धता के आधार पर जल आवंटन आदेश और ग्रिड की स्थिति दर्शाने वाला नक्शा।

(छह) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य शासन की नीति एवं समय–समय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/ अधिसूचनाओं जो कि बायोमास आधारित विद्युत (पावर) परियोजना पर लागू हों, का पालन करने का शपथ पत्र।

(सात) स्थानीय विद्युत ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की पावर इवेक्यूएशन हेतु ग्रिड कनेक्टीविटी की सैद्धांतिक सहमति।

(आठ) इस नीति की कण्डिका 4.3 द्वारा अपेक्षित परफारमेंस गारंटी।

(नौ) वनमंडलाधिकारी का संयंत्र के निकटतम आरक्षित एवं संरक्षित वन सीमा से न्यूनतम 2 (दो) किलोमीटर की दूरी संबंधी प्रमाण पत्र।

(दस) परियोजना का शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने की दशा में विकासकर्ता द्वारा संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण–पत्र ।

4.2 समयावृद्धि– इस नीति की कण्डिका 4.1 में उल्लिखित अनुसार, यदि अपेक्षित गतिविधियों को पूरा करने में विलंब होता है और यह विलंब विकासकर्ता के नियंत्रण से परे हो तो समाधान कर लेने के पश्चात (प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार) 2–2 मास के दो खण्डों में समय सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।

4.3 परफारमेन्स गारंटी :– पंजीकरण की गतिविधियॉ पूर्ण होने के पश्चात, विकासकर्ता द्वारा संपूर्ण परियोजना लागत के एक प्रतिशत की दर से परफारमेन्स बैंक गारंटी जमा करेगा जो 30 (तीस) मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(एक) विकासकर्ता को परियोजना की उपलब्धियों तथा निर्धारित समय सीमाओं का मूल्यांकन करने के पश्चात्, नीति की कण्डिका क्रमांक 6.1 के अनुसार अलग–अलग चरणों में बैंक गारंटी विमुक्त की जाएगी।

(दो) विकासकर्ता द्वारा निर्धारित समयबद्ध गतिविधियों के अनुसार प्रगति को प्राप्त करने में असफल होने की दशा में यदि इस नीति के कण्डिका क्र. 7 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना निरस्त कर दी जाती है तो निरस्तीकरण के समय शेष बची फरफारमेंस गारंटी राजसात कर ली जाएगी और शास्ति के बतौर भुना लिया जाएगा। इस प्रकार निरस्त की गई परियोजना के लिये नये विकासकर्ता का चयन कण्डिका 3 के अनुसार तत्काल किया जायेगा।

5. <u>परियोजना का अनुमोदन :</u>

कण्डिका 4.1 के अनुसार प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर उचित पाये जाने पर एक माह के अन्दर अनुमोदन किया जाएगा।

6. <u>अनुमोदन पश्चात् की गतिविधियॉ:</u>

6.1 अनुमोदन की तारीख से कुल 24 (चौबीस) माह की समय–सीमा के भीतर परियोजना की कमिशनिंग करना होगी। प्रगति का अनुश्रवण विकासकर्ता द्वारा की गई प्रगति के निम्न आधार पर किया जाएगा :–

बायोमास आधारित विद्युत (पावर) परियोजना का आंतरिक (इन्टरनल) वेंचमार्क और उसकी समय सीमा :

| अनुक्रमांक | बेंचमार्क | समय–सीमा (शून्य दिवस से) | परफार्मेन्स बैंक गारंटी की वापसी (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रशासकीय अनुमोदन जारी होने की तारीख | शून्य दिवस | – |
| 2 | भूमि का अधिकार पत्र/आधिपत्य डाइवर्शन सूचना। | 3 माह | 25 प्रतिशत |
| 3 | आवंटन –<br>– प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति<br>– विद्युत क्रय अनुबंध/विपणन व्यवस्था।<br>– वित्तीय प्रबंधन पूर्ण (फाइनेंसियल क्लोजर) | 8 माह | 25 प्रतिशत |
| 4 | – ई.पी.सी. (इरेक्शन, प्रोक्योरमेन्ट तथा कमीशनिंग के ठेकेदार ) की नियुक्ति | 10 माह | – |
| 5 | कुल परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की 50 प्रतिशत तक प्राप्ति का प्रमाण पत्र। | 18 माह | – |
| 6 | कमीशनिंग–<br>– वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) | 24 माह | 50 प्रतिशत |

6.2 विकासकर्ता द्वारा विद्युत निकासी (पावर इवेक्यूएशन) हेतु प्रणाली सम्बद्धता (ग्रिड कनेक्टीविटी) के लिए विद्युत अनुज्ञप्तिधारी कंपनी से सैद्धांतिक सहमति परियोजना का अनुमोदन (कण्डिका–5 के अनुसार) के पूर्व प्राप्त की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कंपनी ऐसे इवेक्यूएशन हेतु प्राक्कलित राशि विकासकर्ता द्वारा जमा करने की सहमति के आधार पर अनुज्ञा देगा। यह अनुमति मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता, ग्रिड संहिता तथा अन्य विनियमनों के प्रावधानो के अधीन होगी। संबंधित अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा प्राक्कलित राशि का समावेश विकासकर्ता अपने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) में करेगा।

7. मासिक प्रगति प्रतिवेदन तथा परियोजना निरस्तीकरण–

7.1 विकासकर्ता (डेवलपर), पंजीकरण की तिथि से वाणिज्यिक प्रचालन (कमीशनिंग) की तिथि तक मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रारूप में संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

7.2 अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात प्रकरणों की प्रगति का मिलान इस नीति में दी गई समयावधि तथा बेंचमार्क्स से किया जाएगा। इस संबंध में किसी विलंब या चूक के लिये स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावेगा। स्पष्टीकरण के संतोषजनक नहीं होने पर परियोजना को निरस्त किया जा सकेगा।

8. विशेष परिस्थितियों में समयवृद्धि :

राज्य शासन विशेष परिस्थितियों तथा आपवादिक स्थिति में कण्डिका 6.1 में उल्लिखित 24 माह की समय सीमा में औचित्यपूर्ण वृद्धि कर सकेगा।

9. दर (टैरिफ)

विकासकर्ता, तृतीयपक्ष अथवा मध्यप्रदेश विद्युत ट्रेडिंग कंपनी/वितरण कंपनी को उत्पादित विद्युत का विक्रय कर सकेगा। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित किये गये टैरिफ आदेश में यथा उपबंधित प्रचलित दर पर, अथवा राज्य की ऊर्जा क्रय नीति अनुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी/वितरण (डिस्ट्रीव्यूशन) कंपनी, परियोजना द्वारा उत्पादित बायोमास ऊर्जा क्रय कर सकेगी। तृतीय पक्ष को विक्रय करने की स्थिति में उभय पक्ष द्वारा सहमत दर पर विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी। इस संबंध में म.प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेश बंधनकारी होंगे।

10. अधोसंरचना का निर्माण:

विकासकर्ता स्वयं की लागत पर पृथक से एबीटी (एबिलिटी बेस्ट टैरिफ) मीटरिंग की व्यवस्था करेगा, जिसके लिये इंजेक्शन एवं ड्रावल प्वाईन्ट उपयुक्त मीटर एवं मीटरीकरण संयंत्र, पर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी "इन्ट्रा स्टेट ओपन एक्सेस इन मध्यप्रदेश के निबंधन और शर्तों, विनियम 2005" की कंडिका क्रमांक 16 के प्रावधानों के अनुसार संस्थापित करेगा। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीसिटी ग्रिड कोड के ट्रान्समीशन मीटरिंग कोड भाग–पॉच खण्ड 16 तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा मीटर की स्थापना एवं संचालन हेतु जारी संबंधित विनियमन का पालन विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा।

11. सुविधाएं और प्रोत्साहन

11.1 विद्युत शुल्क तथा उपकर ( सेस) में छूट : सभी बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओ (कैप्टिव सहित) को परियोजना की कमीशनिंग तिथि से 10 (दस) वर्ष तक विद्युत शुल्क एवं उपकर में छूट की पात्रता होगी।

11.2 व्हीलिंग प्रभार : मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित किए गए व्हीलिंग शुल्क अनुसार, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा व्हीलिंग की सुविधा बायोमास आधारित पावर परियोजना को उपलब्ध होगी।

उपरोक्त व्हीलिंग चार्ज में 4% का अनुदान राज्य शासन द्वारा कमीशनिंग से 10 (दस) वर्ष तक दिया जावेगा। अनुदान के अतिरिक्त शेष राशि संबंधित परियोजना विकासकर्ता द्वारा स्वयं वहन की जावेगी।

11.3 संविदा मांग (कान्ट्रेक्ट डिमांड) में कमी : ऐसी औद्योगिक इकाईयों को, जो मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल/उत्तरवर्ती कंपनी की उपभोक्ता है, यदि वे इकाईयॉ केप्टिव उपयोग हेतु बायोमास आधारित पावर संयंत्र संस्थापित करती है या तृतीय पक्ष के रूप में बायोमास स्त्रोत से उत्पादित (जनरेटेड) विद्युत क्रय करती है, तो उन्हे संविदा मांग में कमी की सुविधा दी जायेगी तथा ये इकाईयॉ बायोमास आधारित विद्युत का उपयोग कर सकेंगी।

11.4 तृतीय पक्ष विक्रय :

तृतीय पक्ष को विक्रय की पात्रता, विद्युत अधिनियम 2003 के संबंधित प्रावधानों, एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों/विनियमनों के अनुसार होगी।

11.5 उद्योग का दर्जा :

इस नीति के अधीन कियान्वित परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा और उन्हे समय समय पर यथा संशोधित राज्य शासन की 'उद्योग संवर्धन नीति' के अधीन सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। यदि राज्य की उद्योग संर्वधन नीति एवं बायोमास प्रोत्साहन नीति में कोई विरोधाभास हो तो राज्य की बायोमास नीति मान्य होगी।

11.6 यदि अपेक्षित मात्रा में जल की उपलब्धता हो तो विकासकर्ता को जल के योग की अनुज्ञा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण/जल संसाधन विभाग द्वारा प्रचलित दर या ऐसी दर पर दी जायेगी, जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जाए।

11.7 भूमि का आंवटन :

11.7.1 शासकीय राजस्व भूमि के आवंटन के लिए लागू नियम एवं शर्तें : शासकीय राजस्व भूमि के आवंटन तथा भूमि उपयोग की अनुमति हेतु राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 16–3/93/सात/2ए दिनांक 06.09.2010 एवं क्र. एफ 6–53/2011/सात/ नजूल दिनांक 08.08.2011 में अधिकथित शर्तें लागू होंगी।

11.7.2 भूमि के युक्ति–युक्त उपयोग हेतु, बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र के लिये, अधिकतम 2 एकड़ भूमि प्रति मेगावाट के मान से प्रयुक्त की जा सकेगी।

11.7.3 शासकीय राजस्व भूमि, राजस्व अभिलेखों में छोटे–बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलेखित हुई अथवा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.01.1997 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि के रूप में परिभाषित हुई हो तो आवेदक वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी वन विभाग के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही करेगा।

11.7.4 निजी भूमि के क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट : यदि परियोजना हेतु निजी भूमि का क्रय विकासकर्ता द्वारा किया जाता है, तो स्टाम्प ड्यूटी पर 50 (पचास) प्रतिशत छूट की पात्रता होगी। इस भूमि पर परियोजना संस्थापित नहीं किये जाने पर दी गई छूट वापस ली जाएगी एवं वसूली की कार्यवाही अधिसूचना क्रमांक 70 बी–4–08–2–पॉच, दिनांक 21.08.2008 के अनुसार की जाएगी।

11.7.5 बायोमास उत्पादन हेतु गैर वन पड़त भूमि का उपयोग : राजस्व विभाग द्वारा गैर वन पड़त भूमि को बायोमास उत्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु, गैर वन पड़त भूमि आवंटन की राज्य शासन की नीति के प्रावधानानुसार उपलब्धता के आधार पर भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

11.8 सी.डी.एम. प्रसुविधा (बेनिफिट्स) : बायोमास आधारित विद्युत परियोजना के विकासकर्ता/निवेशक को प्राप्त होने वाले कार्बन क्रेडिट प्रसुविधा (सी.डी.एम.) के लाभ म. प्र. विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार प्राप्त होंगे।

11.9 बायोमास आधारित विद्युत परियोजना प्रारंभ (कमीशनिंग) होने के पूर्व, परियोजना हेतु क्रय किए गए उपकरणों पर प्रवेश कर, से छूट होगी।

11.10 परियोजना का हस्तांतरण (ट्रांसफर) : विकासकर्ता (डेवलपर) को परियोजना के प्रारंभ (कमीशनिंग) से पूर्व किसी विकासकर्ता/निवेशक को परियोजना के हस्तांतरण के लिए विभाग का अनुमोदन आवश्यक होगा। हस्तांतरण के संबंध में नीति की कण्डिका–3.6 के अनुसार, ट्रांसफर शुल्क रू 1 (एक) लाख प्रति मेगावाट अतिरिक्त देय होगा जो वापिसी योग्य नहीं होगा।

11.11 अन्य सुविधाओं/ प्रोत्साहन से संबंधित उपबन्ध, जो मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ओपन एक्सेस, रिएक्टिव पावर, मीटरिंग तथा नवकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (RPO) के बारे में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू होंगे।

12. अन्य सुविधाएं

12.1 परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन, आ रही कठिनाईयों के निराकरण एवं अंतर्विभागीय समन्वय के विषयों पर निराकरण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित परियोजना स्वीकृति एवं क्रियान्वयन बोर्ड (PCIB) के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

12.2 परियोजना की कमीशनिंग एक बार हो जाने पर, बायोमास आधारित विद्युत परियोजना के विकासकर्ता (डेवलेपर) को निम्नलिखित ब्यौरे, हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी (ऑनलाईन) प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होगा :–

(क) मासिकः (1) संबंधित वितरण/ ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा प्रमाणित किए गए मासिक विद्युत के आंकडे।

(2) मास के दौरान प्रयुक्त वास्तविक ईधन (फ्यूल) का विवरण (बायोमास, परंपरागत ईंधन, उसकी मात्रा तथा भुगतान की लागत/कीमत सहित।

(ख) वार्षिक : परियोजना के विकासकर्ता द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए मासिक ईंधन प्रयुक्त करने का विवरण विषयक प्रमाण पत्र, जो

सत्यापित तथा प्रमाणित हो, प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष सितम्बर मास में विगत वित्तीय वर्ष की जानकारी आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

12.3 इस नीति में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश जो समय–समय पर जारी किए जाएं, इस नीति के कियान्वयन के संबंध में लागू (मान्य) होंगे।

12.4 "मध्य प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं के लिए राज्य शासन की प्रोत्साहन नीति 2006" के अधीन स्थापित और स्थापनाधीन परियोजनाओं के लिए उक्त नीति की कंडिका 21(1) के अधीन आरक्षित क्षेत्रफल का ध्यान रखा जावेगा।

12.5 यह नीति मध्यप्रदेश में बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिये राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगी।

(अनिल श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.